न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(समक्ष–व्ही0पी0सिंह)

S.T.N0-297/2019

Filing NO./3754/2019

CNR NO-MP18010045262019

Filing Date-05-12-2019

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जैतपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

————————————————**अभियोजन**

ब ना म

लखन बैगा पिता श्री रामदास बैगा उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खोड़री थाना जैतपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

————————————————**अभियुक्त**

———————————————————————————————

यह सत्र प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कैम्प कोर्ट जैतपुर जिला शहडोल के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 303/19 म0प्र0शासन बनाम लखन बैगा में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 30.11.2019 से उत्पन्न।

———————————————————————————————

अभियोजन द्वारा – श्री सुरेश जेठानी लोक अभियोजक
आरोपी द्वारा – श्री श्री विकास तिवारी अधिवक्ता।

———————————————————————————————

नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 238–ए के तहत सूची।

अपराध की तारीख	08.10.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	10.10.2019
आरोप–पत्र की तारीख	30.11.2019
आरोपों की विरचना की तारीख	16.12.2019
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	18.12.2019
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	08.02.2023
निर्णय की तारीख	11.02.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	11.02.2023

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की	जमानत पर रिहा	अपराध जिनका	दोषमुक्ति या	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र. सं. के

		तारीख	किये जाने की तारीख	आरोप है	दोषसिद्धी		प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
–	लखन बैगा	12.10.19	–	302 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध	निर्णय अनुसार	दिनांक 12.10.19 से निर्णय दिनांक 11.02.23 तक की अवधि

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

{क} अभियोजन –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
गवाह नंबर–1	नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–2	नरेन्द्र कुमार यादव	जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–3	घोरसेन बैगा	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–4	लखन भरिया	अनुसंधान साक्षी एवं लाश पंचनामा, शव सुपुर्दगी, मेमोरेण्डम एवं जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–5	गेंदलाल बैगा	मेमारेण्डम एवं जप्ती साक्षी
गवाह नंबर–6	शंकर सिंह	नजरी नक्शा तैयार करने वाला साक्षी
गवाह नंबर–7	राजाराम साहू	अनुसंधान साक्षी
गवाह नंबर–8	शिवप्रसाद अहिरवार	पुलिस साक्षी
गवाह नंबर–9	डॉ0 एस0डी0 कंवर	चिकित्सक साक्षी

{ख} प्रतिरक्षा –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
		––निल––

{ग} न्यायालयीन साक्षी –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
––निल––	––निल––	––निल––

{क} अभियोजन प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र0पी0–1	जप्ती पत्रक
2	प्र0पी0–2	अंकित नहीं
3	प्र0पी0–3	साक्षी घोरसेन का पुलिस कथन
4	प्र0पी0–4	धारा 175 दं0प्र0सं0 के तहत जारी नोटिस
5	प्र0पी0–5	नक्शा शव पंचायतनामा
6	प्र0पी0–6	शव सुपुर्दगी पंचनामा
7	प्र0पी0–7	नजरी नक्शा
8	प्र0पी0–8	मेमोरेण्डम कथन
9	प्र0पी0–9	जप्ती पत्रक
10	प्र0पी0–10	जप्ती पत्रक
11	प्र0पी0–11	गिरफ्तारी पत्रक
12	प्र0पी0–12	नजरी नक्शा
13	प्र0पी0–13	प्रतिवेदन
14	प्र0पी0–14	देहाती मर्ग इंटीमेशन
15	प्र0पी0–15	देहाती नालिसी
16	प्र0पी0–16	कर्तव्य प्रमाण पत्र
17	प्र0पी0–17	शव परीक्षण आवेदन फार्म
18	प्र0पी0–17ए	शव परीक्षण रिपोर्ट
19	प्र0पी0–18	प्रथम सूचना रिपोर्ट
20	प्र0पी0–19	नंबरी मर्ग इंटीमेशन
21	प्र0पी0–20	गिरफ्तारी सूचना
22	प्र0पी0–21	क्वेरी आवेदन पत्र
23	प्र0पी0–22	न्यायालय की पावती
24	प्र0पी0–23	पुलिस अधीक्षक का ड्राफ्ट
25	प्र0पी0–24	एफ0एस0एल0 सागर से प्राप्त रसीद
26	प्र0पी0–25	एफ0एस0एल0 सागर से प्राप्त रिपोर्ट
27	प्र0पी0–26	अंतिम प्रतिवेदन
28	प्र0पी0–27	अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की सूची
29	प्र0पी0–28	साक्ष्य सूची

{ख} प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र0डी0–1	साक्षी नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू का कथन
2	प्र0डी0–2	गहननामा
3	प्र0डी0–3	साक्षी लखन भरिया का कथन

{ग} न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–निल	––निल––	––निल––

{घ} आवश्यक वस्तुएं –

सं.कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आर्टिकल–ए	भूरे रंग का पत्थर
2	आर्टिकल–बी	मृतक की हरे कलर की टी शर्ट
3	आर्टिकल–सी	गमछा
4	आर्टिकल–डी	खून आलूदा मिट्टी
5	आर्टिकल–ई	सादी मिट्टी

'' नि र्ण य ''

(आज दिनांक 11–02–2023 को पारित किया गया)

01. आरोपी लखन बैगा पिता श्री रामदास बैगा पर आरोप है कि उसने दिनांक 08–10–2019 के 10.30 बजे रात ग्राम खोड़री अन्तर्गत् थाना जैतपुर में बाल्मीक भरिया को मारपीट कर साशय चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित किया। इस प्रकार से आरोपी पर निम्नानुसार आरोप है –

कमांक	आरोपी का नाम/पिता का नाम	आरोपित अपराध
1	2	3
1.	लखन बैगा पिता रामदास बैगा	धारा 302 भा0दं0सं0

02. **आरोपी ने निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार किया है :–**

(क) मृतक बाल्मीक भरिया, आरोपी का साला है।

(ख) मृतक बाल्मीक भरिया, घोरसेन के मामा का लड़का है।

(ग) आरोपी को प्र0पी0–11 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया गया था।

03. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि – सूचनाकर्ता लखन भरिया पिता स्व0 चिब्बुल भरिया निवासी ग्राम बरगवां थाना जैतपुर द्वारा दिनांक 10–10–2019 को 9.00 बजे पुलिस को इस आशय की सूचना दी गयी कि दिनांक 06–10–2019 दिन रविवार को उसके बड़े पिताजी श्री बाल्मीक भरिया भटिया मेला देखने कहकर उसके फूफा लखन बैगा के यहां ग्राम खोड़री गये थे। दिनांक 09–10–2019 की रात को वे लोग खाना–पीना खाकर सो गये थे तभी ग्राम खोड़री का राजा साहू रात करीबन 10.00 बजे उसके फूफा लखन बैगा की मोटर साइकल लेकर उसके घर ग्राम बरगवां 24 आकर बताया कि उसके बड़े पिताजी बाल्मीक बहुत सीरियस हैं तब वह राजा साहू के साथ गाड़ी में बैठकर ग्राम खोड़री गया तो देखा कि उसके बड़े पिताजी बाल्मीक भरिया के सिर में पीछे तरफ खून निकला हुआ था व बायें गाल में सूजनदार चोट के निशान दिख रहे थे और वे खत्म हो चुके थे। वह डर के कारण वहां से भागने लगा तब उसके फूफा लखन बैगा ने बोला कि अगर भागोगे तो उसे भी मार देगा तब वह डर के कारण वहीं रूक गया और मौत के बारे में पता किया तब ग्राम खोड़री के घोरसेन बैगा व दीपचन्द्र साहू ने बताया कि लखन बैगा ग्राम खोड़री के दुर्गा पण्डाल के पास दिनांक 08–10–2019 को रात करीब 10.00 बजे उसके बड़े पिताजी से शराब पीकर मारपीट कर रहा था तब दोनों को दुर्गा पण्डाल के पास से जाने को बोले तो दोनों वहां से चले गये और घोरसेन के घर के पास फिर से उसके फूफा लखन बैगा रात करीब 10.30 बजे उसके बड़े पिताजी से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान लखन बैगा ने उसके बड़े पिताजी को उठाकर रोड पर पटक दिया और पत्थर उठाकर उसके उपर पटक दिया जिससे उसके बड़े पिताजी बाल्मीक की मौत हो गयी। फिर लखन बैगा ने अपनी मोटर साइकल में उसके बड़े पिताजी की लाश को रखकर व साथ में उसे बैठाकर उसके गांव बरगवां 24 दिनांक 09–10–2019 को रात करीबन 1.00 बजे घर में छोड़कर भाग गया। उसके बड़े पिताजी की मौत लखन बैगा द्वारा मारपीट करने के कारण आई चोटों के कारण हुई है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा देहाती मर्ग इंटीमेशन प्र0पी0–14 एवं देहाती नालिसी प्र0पी0–15 लेखबद्ध की गयी।

04. पुलिस द्वारा मृतक के लाश का पंचनामा बनाने के लिए गवाहों को धारा 175 दं0प्र0सं0, 1973 के तहत प्र0पी0–4 की नोटिस जारी की गई तथा गवाहों की उपस्थिति में लाश का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मृतक के सीने में बायें तरफ सूजनदार चोट थी, दोनों हाथ की कोहनी में खरोंचदार चोट का निशान तथा सिर के पीछे तरफ बीचों–बीच खून आलूदा चोट पायी गयी। मृतक के शव के निरीक्षण पश्चात् प्र0पी0–5 का नक्शा शव पंचायतनामा तैयार किया गया। उपस्थित पंचानों द्वारा मृतक की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पी0एम0 कराने की सलाह दी गई तत्पश्चात् मृतक के शव का परीक्षण कराने के लिए आरक्षक क्रमांक 727 नरेन्द्र यादव को प्र0पी0–16 का कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा प्र0पी0–17 का शव परीक्षण आवेदन पत्र भरकर मृतक के शव को पी0एच0सी0 जैतपुर भेजा गया। पी0एच0सी0 जैतपुर में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर श्री एस0डी0 कंवर (अ0सा0–9) द्वारा मृतक के शव का पी0एम0 कर प्र0पी0–17ए की रिपोर्ट तैयार की गयी तथा **<u>यह अभिमत दिया गया</u>**

<u>कि मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर आई हुई चोटों के कारण एवं अत्यधिक रक्त श्राव के कारण उत्पन्न शॉक से हुई थी तथा मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल थी जो परीक्षण के पूर्व 24 से 36 घंटे के बीच की अवधि में होना प्रतीत हो रही थी।</u> शव परीक्षण उपरांत मृतक का शव उसके परिजनों के सुपुर्द कर प्र0पी0–6 का सुपुर्दगी पंचनामा तैयार किया गया।

05. पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0–7 तैयार किया गया। दिनांक 12–10–2019 को आरोपी को अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ की गयी जिसमें आरोपी द्वारा जिस पत्थर से उसने बाल्मीक की हत्या की थी उसे घर के पास छिपाकर रखा है तथा घटना के समय पहने हुये कपड़े तथा मोटर साइकल जिसमें मृतक की लाश को ग्राम बरगवां ले गया था, उसे अपने घर में रखा है, चलकर बरामद कराये देता है जिस पर आरोपी का मेमोरेण्डम बयान प्र0पी0–8 लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी के पेश करने पर गवाहों के समक्ष एक अदद भूरे रंग का पत्थर, एक अदद हरे रंग की टी शर्ट, एक अदद गमछा तथा घटना में प्रयुक्त टी0व्ही0एस0 स्पोर्ट कंपनी की मोटर साइकल क्रमांक एम0पी0–18एम0एल0/5211 को प्र0पी0–10 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी को पृथक डिब्बे में रखकर सीलबंद कर प्र0पी0–9 के जप्ती पत्र अनुसार जप्त किया गया। आरोपी को प्र0पी0–11 के गिरफ्तारी पत्र अनुसार गिरफ्तार किया गया। प्र0पी0–20 के अनुसार आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गयी। डॉ0 श्री एस0डी0 कंवर को दिनांक 29–10–2019 को प्र0पी0–21 का क्वेरी आवेदन मृतक की मृत्यु के संबंध में अभिमत बावत् प्रेषित किया गया जिस पर उनके द्वारा प्र0पी0–21 के बी से बी भाग पर अपना अभिमत दिया गया। श्री शंकर सिंह, पटवारी (अ0सा0–6) व्दारा दिनांक 21–10–2019 को घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0–12 एवं घटना स्थल का प्रतिवेदन प्र0पी0–13 तैयार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 240/19 धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–18 लेखबद्ध की गयी। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को रासायनिक परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 सागर पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट प्र0पी0–23 के अनुसार भेजा गया जिसकी पावती प्र0पी0–24 एवं एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्र0पी0–25 है।

06. गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। अन्य विवेचना की पूर्ति उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान अन्तर्गत् धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कैम्प कोर्ट जैतपुर जिला शहडोल के न्यायालय में दिनांक 30–11–2019 को प्रस्तुत किया गया जहां से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को विधिवत् सत्र न्यायालय शहडोल को उपार्पित किया। फलतः यह प्रकरण विधिवत् निवर्तनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

07. आरोपी की ओर से कोई भी बचाव में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। उसने आरोपी परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 38 के उत्तर में आरोपी ने बताया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं किया था।

08. उपरोक्त आरोप के संबंध में मामले में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैं

जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित तालिका में दर्ज किये जा रहे हैं –

कं.	**विचारणीय–प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1–	क्या आरोपी ने दिनांक 08–10–2019 के 10.30 बजे रात ग्राम खोड़री अन्तर्गत् थाना जैतपुर में बाल्मीक भरिया को मारपीट कर साशय चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित किया?	**''प्रमाणित''**

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

09. इस प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व मैं माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख करना उचित समझता हूं जिसमें अपराध विधि शास्त्र के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय न्यायालय ने **<u>थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे.–442</u>** में प्रतिपादित किया है कि :–

(क) अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपने मामले को संदेहातीत रूप में प्रमाणित करना चाहिए।

(ख) अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर अपने मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

(ग) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो जो विचार आरोपी के पक्ष का हो, उसे विचार में लेना चाहिए।

<u>''अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 विवेचना''</u>

10. **अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 में वर्णित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रमाणित करने होंगे –**

{क} क्या श्री बाल्मीक भरिया की मृत्यु **<u>''मानव वधीय''</u>** स्वरूप की थी?

{ख} यदि हां, तो क्या आरोपी लखन बैगा द्वारा ही मृतक श्री बाल्मीक भरिया का **<u>''मानववध''</u>** कारित किया गया एवं वह हत्या की श्रेणी में आता है?

11. उक्त दोनों उप–अवधारणीय बिन्दु एक ही तथ्य से सुसंगत होने के कारण उक्त सभी का विचारण एक साथ ही किया जा रहा है।

12. **सर्वप्रथम यह देखा जा रहा है कि क्या श्री बाल्मीक भरिया की मृत्यु <u>''मानव वधीय''</u> स्वरूप की थी?**

13. सूचनाकर्ता श्री लखन भरिया (अ0सा0–4) द्वारा श्री बाल्मीक भरिया की

मृत्यु की सूचना दिये जाने पर अपराध क्रमांक 0/19 धारा 302 के तहत देहाती नालिसी प्र0पी0–15 तथा देहाती मर्ग इंटीमेशन प्र0पी0–14 लेखबद्ध की गयी। तत्पश्चात् प्रकरण के अन्वेषणकर्ता निरीक्षक स्व0 श्री के0आर0 सिलाले मौके पर पहुंचकर मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार करने के लिए धारा 175 दं0प्र0सं0, 1973 के तहत गवाहों को प्र0पी0–4 की नोटिस जारी की गयी तथा गवाहों के उपस्थित होने पर मृतक के शव का निरीक्षण कर नक्शा शव पंचायतनामा प्र0पी0–5 तैयार किया गया। पंचानों द्वारा मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटों को देखकर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पी0एम0 कराने की सलाह दी गयी जिस पर मृतक के शव का परीक्षण कराने के लिए आरक्षक क्रमांक 727 श्री नरेन्द्र यादव को प्र0पी0–16 का कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया और प्र0पी0–17 का शव परीक्षण आवेदन पत्र भरकर उसे पी0एच0सी0 जैतपुर भिजवाया गया।

14. डॉक्टर श्री एस0डी0 कंवर (अ0सा0–9) को दिनांक 10–10–2019 को मृतक का शव पी0एम0 हेतु प्राप्त होने पर मृतक के शव का बाह्य एवं आंतरिक परीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित स्थिति पायी गयी –

बाह्य परीक्षण – मृतक के शव का बाह्य परीक्षण करने पर पाया था कि उसकी दोनों आंखे बंद थीं, मुंह बंद था, जीभ मुंह के अंदर थी, रक्त की तरह का द्रव्य दोनों नाक से निकल रहा था। मृतक के शरीर पर निम्नानुसार चोटें पायी गयी थीं –

चोट क्रमांक 1–कुचली हुयी चोट सिर के पीछे भाग में मौजूद थी जिसका आकार 3X4 सेमी0 था।

चोट क्रमांक 2–नील स्याह एवं सूजनदार चोट बायें गाल में मौजूद थी जिसमें नीचे के जबड़े की हड्डी टूटी हुयी थी।

चोट क्रमांक 3–खरोंचदार चोट नीचे के जबड़े में मौजूद थी जिसका आकार 2X1 सेमी0 था।

चोट क्रमांक 4–नील स्याहदार चोट सीने के दाहिने भाग में मौजूद थी तथा सीना खोलने पर मृतक की तीन पसलियां भी टूटी हुयी थीं।

चोट क्रमांक 5–नील स्याहदार चोट बायें सीने में मौजूद थी तथा सीने में दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी पसली की हड्डी टूटी हुयी थी जिसमें चौथी एवं पांचवी हड्डी दाहिने फेफड़े में घुसी हुयी थी।

आंतरिक परीक्षण – शव का आंतरिक परीक्षण करने पर पाया था कि फुफुस, कंठ और श्वासनली स्वस्थ थे, दाहिना फेफड़ा कंजेस्टेड था, पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रासनली स्वस्थ थे, पेट के अंदर अधपचा चावल मौजूद था, छोटी आंत, बड़ी आंत कंजेस्टेड थी, यकृत, प्लीहा, गुर्दा पेल कलर के थे तथा मूत्राशय खाली था।

15. आगे साक्षी ने बताया है कि मृतक के शरीर पर पहने हुये कपड़ों को

उतरवाकर उसे सीलबंद कर आरक्षक को सौंप दिया था। उनके मतानुसार मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर आयी हुयी चोटों के कारण एवं अत्यधिक रक्त श्राव के कारण उत्पन्न शॉक से हुयी थी जो परीक्षण के 24 से 36 घंटे के बीच की अवधि में होना प्रतीत हो रही थी तथा मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल थी। उनके द्वारा परीक्षण उपरांत प्र0पी0–17ए की रिपोर्ट तैयार की गयी थी जिसके ए से ए भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं।

16. आगे साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 29–10–2019 को थाना प्रभारी जैतपुर व्दारा उनके पास प्र0पी0–21 का क्वेरी आवेदन पत्र जप्तशुदा पत्थर एवं पी0एम0 रिपोर्ट के साथ भेजकर यह राय मांगी गयी थी कि क्या जप्तशुदा पत्थर से मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटें आना संभव है? उक्त आधार पर चिकित्सक व्दारा यह अभिमत दिया गया कि मृतक बाल्मीक भरिया की हड्डी जप्तशुदा पत्थर से टूट सकती है जिससे उसकी मौत संभव है। प्र0पी0–21 के सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

17. नक्शा शव पंचायतनामा तैयार करते समय मृतक के शरीर का निरीक्षण करने पर पाया गया था कि उसके सिर के पीछे तरफ बीचों–बीच खून आलूदा चोट थी तथा बाएं गाल पर सूजनदार चोट थी एवं मृतक के सीने में बायें तरफ भी सूजनदार चोट थी। इस प्रकार चिकित्सक व्दारा तैयार की गयी रिपोर्ट एवं नक्शा शव पंचायतनामा में बतायी गयी मृतक की चोटों की पुष्टि होती है।

18. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–10 में साक्षी डॉक्टर श्री एस0डी0 कंवर (अ0सा0–9) ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति सामने की तरफ से पथरीली जगह पर गिरे तो चोट क्रमांक 2 लगायत 5 जैसी चोट आ सकती है। ज्ञातव्य हो कि चिकित्सक के द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट का जब अवलोकन किया गया तो यह पाया जाता है कि मृतक के शरीर पर पायी गयी खरोंचदार चोटें तो पथरीली जगह पर गिरने से आ सकती हैं, लेकिन चोट क्रमांक 2 जिसमें जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी तथा चोट क्रमांक 4 के अनुसार मृतक की तीन पसलियां टूटी हुयी थीं, इसी प्रकार चोट क्रमांक 5 के अनुसार मृतक के सीने की दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी पसली की हड्डी टूटी हुई पायी गयी थी जिसमें चौथी एवं पांचवी हड्डी दाहिने फेफड़े में घुसी हुई थी, उक्त चोटें पथरीली जगह पर मात्र गिरने से आना संभव नहीं है जब तक कि किसी व्यक्ति के द्वारा मारपीट न की जावे। इस प्रकार चिकित्स के मात्र यह स्वीकार कर लेने से कि मृतक को पायी गयी चोट क्रमांक 2 लगायत 5 पथरीली जगह पर गिरने से आ सकती हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता। जब मृतक की समग्र चोटों का अवलोकन किया जाता है तो यह पाया जाता है कि मृतक को पायी गयी चोटें उसके साथ मारपीट करने के कारण और उसके सीने में किसी सख्त वस्तु से मारपीट करने के कारण ही आ सकती हैं।

19. इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य का जब समग्र रूप से अवलोकन किया जाता है यही पाया जाता है कि मृतक के शरीर पर पहुंचायी गयी चोटें उसके साथ मारपीट करके ही पहुंचायी गयी हैं और चिकित्सक के अनुसार उक्त चोटों के कारण अत्यधिक रक्त श्राव के कारण उत्पन्न शॉक से ही उसकी मृत्यु हुई थी। चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल होना बतलाया गया है।

20. आगे साक्षी ने बताया है कि दिनांक 29–10–2019 को थाना प्रभारी जैतपुर व्दारा उनके पास प्र0पी0–21 का आवेदन पत्र जप्तशुदा पत्थर एवं पी0एम0 रिपोर्ट के साथ भेजकर यह राय मांगी गयी थी कि क्या जप्तशुदा पत्थर से मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटें आना संभव है? इस पर इस साक्षी के व्दारा प्र0पी0–21 के बी से बी भाग पर यह रिपोर्ट दी गयी थी कि जप्तशुदा पत्थर से मृतक बाल्मीक भरिया की हड्डी टूट सकती है जिससे मृतक की मौत संभव है। प्र0पी0–21 के सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार जब क्वेरी रिपोर्ट एवं इस साक्षी के कथन का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि मृतक को कारित चोटें मात्र पथरीली जगह पर गिरने से ही आना संभव नहीं है, जब तक कि उस पर किसी सख्त एवं ठोस वस्तु से प्रहार न किया जाए।

21. इस बात के विनिश्चयीकरण के लिए कि संबंधित मृत्यु होमीसाइडल थी या नहीं, अभियोजन की ओर से एफ0एस0एल0 रिपोर्ट भी पेश की गयी है। उस पर भी यहीं चर्चा कर लेना आवश्यक है। प्रकरण में संलग्न मेमो प्र0पी0–23 के मुताबिक इस मामले में जप्तशुदा सामग्री खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतक बाल्मीक भरिया के व्दारा धटना के समय पहने हुये खून आलूदा कपड़े एक पैंट और शर्ट तथा संबंधित घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं घटना के समय आरोपी के व्दारा पहनी गयी टी शर्ट एवं सूती अंगौछी को एफ0एस0एल0 सागर परीक्षण के लिए भेजा गया था और अभियोजन ने तीन बिन्दुओं पर राय चाही थी।

<u>प्रथम</u> – क्या प्रदर्श ए, सी, डी, ई में मानव रक्त उपस्थित है?

<u>द्वितीय</u> – क्या प्रदर्श ए, बी में जप्तशुदा मिट्टी एक ही स्थान की एक ही समान है?

<u>तृतीय</u> – क्या प्रदर्श ए, सी, डी, ई में लगा रक्त एक ही ग्रुप का है?

22. उक्त बातों से संबंधित एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट रिकार्ड पर प्र0पी0–25 के रूप में संलग्न है। संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्श–ए खून आलूदा मिट्टी, प्रदर्श–सी1 मृतक का पैंट, प्रदर्श–सी2 मृतक का शर्ट, प्रदर्श–सी3 मृतक की चड्डी एवं प्रदर्श–ई1 आरोपी लखन का टी शर्ट तथा प्रदर्श–ई2 अंगौछी पर रक्त पाया गया था जिनके अनुसार प्रदर्श–सी1, सी2, सी3 जो कि मृतक के शरीर के कपड़े एवं प्रदर्श–ई1 एवं ई2

जो कि आरोपी के कपड़े हैं, पर मानव रक्त पाया गया था, जबकि प्रदर्श–ए के धब्बे विघ ाटित पाये गये थे। प्रदर्श–सी1, सी2, सी3 एवं ई1, ई2 पर परीक्षण परिणाम अनिश्चित पाये गये, अर्थात् ब्लड ग्रुप नहीं बताया गया। इस प्रकार से एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्र0पी0–5 के अनुसार मृतक के शरीर पर के कपड़ों एवं आरोपी के कपड़ों पर मानव रक्त पाया गया था।

23. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह निष्कर्षित किया जाता है कि मृतक को कारित चोटें उसके साथ मारपीट करके ही पहुंचायी गयी थी जिसमें उसकी पसलियां टूट गयी थीं तथा उसके शरीर पर आई हुई चोटों के कारण एवं सिर के पीछे के भाग में पहुंची चोट के कारण अत्यधिक रक्त श्राव होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार इस अदालत के मत में मृतक श्री बाल्मीक भरिया की मृत्यु **''मानव वधीय''** स्वरूप की होना निर्धारित किया जाता है।

24. **अब यह देख लिया जाए कि क्या श्री बाल्मीक भरिया को उक्त चोट आरोपी के द्वारा ही कारित की गयी थी?**

25. अभियोजन की ओर से अपने कथानक को प्रमाणित करने के लिए मृतक के गांव के जिन गवाहों का बयान कराया गया है उनमें से श्री नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू (अ0सा0–1), श्री घोरसेन बैगा (अ0सा0–3), श्री लखन भरिया (अ0सा0–4), श्री गेंदलाल बैगा (अ0सा0–5) एवं श्री राजाराम साहू (अ0सा0–7) प्रमुख हैं जिनकी साक्ष्य का यहां वर्णन किया जा रहा है।

26. साक्षी श्री घोरसेन बैगा (अ0सा0–5) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह व्ही0सी0 के माध्यम से जिला जेल शहडोल से उपस्थित आरोपी लखन बैगा को जानता–पहचानता है जो उसके ही गांव का है। मृतक बाल्मीक भरिया को भी जानता है जो उसके मामा का लड़का है। घटना दशहरे के समय की हैं घटना को एक वर्ष हो चुके हैं। वह घटना के समय अपने खेत वाले घर में था। घटना रात की है, लेकिन कितने बजे की है, उसे जानकारी नहीं है। उसने सुबह सुना था कि आरोपी लखन एवं मृतक बाल्मीक के बीच लड़ाई–झगड़ा हुआ था। आरोपी एवं मृतक का उक्त झगड़ा गांव के बीच दुर्गा पण्डाल के पास हुआ था। उसने घटना स्वयं देखी नहीं थी, केवल घटना के बारे में सुना था। उसे यह नहीं मालूम कि किस बात के विवाद को लेकर दोनों के बीच लड़ाई–झगड़ा हुआ था? उसने बाल्मीक को उसके घर पर देखा था। उसके सिर पर चोट लगी थी। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा मात्र इतना कथन किया गया है कि उसने आरोपी एवं मृतक के बीच गांव के दुर्गा पण्डाल के पास झगड़ा होने के संबंध में सुना था तथा मृतक के सिर पर चोट देखा था। इस प्रकार यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तो नहीं, लेकिन अभियोजन के मामले का सम्पुष्टिकारक

साक्षी अवश्य प्रतीत होता है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं, लेकिन साक्षी ने पुलिस को प्र0पी0–3 का बयान ''दोनों दारू पीकर– – – –मौत हो गई।'' की बात बताने से इंकार किया है।

27. श्री लखन भरिया (अ0सा0–4) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह व्ही0सी0 के माध्यम से जेल से उपस्थित आरोपी लखन बैगा को जानता है जो कि ग्राम खोड़री का निवासी है। वह ग्राम बरगवां का निवासी है। अक्टूबर 2019 की बात है। उस दिन नवरात्रि की रामनवमी थी। उसके बड़े पिता बाल्मीक भरिया अपने जीजा आरोपी लखन बैगा के यहां गये थे, परन्तु बाल्मीक ने यह कहा था कि वे मेला करने जा रहे हैं। उसके बड़े पिता मेला से घर वापस न आकर आरोपी लखन बैगा के घर चले गये थे। ग्राम खोड़री के राजाराम साहू ने करीब 10.00 बजे उसके गांव में आकर बताया कि उसके बड़े पिताजी बाल्मीक ग्राम खोड़री में गिर गये हैं जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वे सीरियस हैं, उसके साथ चलो तब वह राजा साहू के साथ ग्राम खोड़री गया था। राजाराम साहू उसे रोड के पास छोड़कर अपने घर चला गया था। जब वह रोड से अपने फूफा लखन बैगा के घर के अंदर घुसा तब देखा कि उसके बड़े पिता बाल्मीक भरिया मर चुके थे। वह जोर–जोर से चिल्लाने लगा तो उसे लखन बैगा ने पकड़ा लिया था। लखन बैगा ने उससे बोला कि बाल्मीक की लाश लेकर बरगवां जाओ नहीं तो उसे भी जान से मार देगा। फिर वह लखन बैगा की धमकी के डर के कारण अपने बड़े पिता की लाश को लेकर ग्राम बरगवां रात करीब 1.00 बजे आया। उसके साथ आरोपी भी ग्राम बरगवां आया था। उसने अपने बड़े पिता की लाश को देखा था। उनके सिर के पीछे, सीने पर और शरीर के अन्य भागों पर चोट के निशान थे तथा सिर से काफी खून निकला था। बाल्मीक की मृत्यु आरोपी के मारपीट करने के कारण हुई थी।

28. इस प्रकार यह साक्षी घटना घटित होने के बाद राजाराम साहू के व्दारा सूचना दिये जाने पर घटना स्थल ग्राम खोड़री आरोपी के घर पहुंचने और वहां पर बाल्मीक भरिया के फौत हो जाने का कथन करता है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर घटना का परिस्थितिजन्य साक्षी है जिसके व्दारा मृतक को आरोपी के घर से ग्राम बरगवां आरोपी के साथ वापस लाया गया और इस साक्षी के द्वारा मृतक के शरीर पर चोटें देखी गयीं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–7 में इस बात को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि आरोपी को उसने बड़े पिता बाल्मीक के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के व्दारा घटना घटित होने के बाद की परिस्थितियों के बारे में कथन किया गया है।

29. श्री राजाराम साहू (अ0सा0–7) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह व्ही0सी0 के माध्यम से उपस्थित आरोपी लखन बैगा को जानता है। वह मृतक

बाल्मीक को भी जानता है। वह ग्राम खोड़री का रहने वाला है। घटना तीन–चार वर्ष रात के समय की है। घटना के दूसरे दिन उसे घटना की जानकारी मिली थी। उसे उसके लड़के ने बताया था कि मृतक बाल्मीक बहुत सीरियस है तब वह बाल्मीक के घर गया था। बाल्मीक अपने घर पर सोया हुआ था। लखन बैगा ने उससे कहा था कि जाकर बाल्मीक के घर में खबर दे आओ कि वह बहुत सीरियस है। फिर वह गाड़ी लेकर बाल्मीक के घर गया था और उसके भतीजे को बताया था। फिर उसका भतीजा मृतक को देखने आया था और अपने चाचा बाल्मीक को लेकर गांव गया था। उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी। बाल्मीक की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसे इसकी जानकारी नहीं है। वह मौके पर नहीं था, इसलिए नहीं बता सकता कि बाल्मीक की मृत्यु कैसे हुई? गांव में हल्ला होने पर उसे पता चला था कि बाल्मीक भरिया का झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के कारण ही उसकी मृत्यु हुई थी। बाल्मीक भरिया को किसने मारा? वह नहीं जानता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पैरा–3 में इस बात को स्वीकार किया है कि जब वह लखन बैगा के घर गया था तो वहां बाल्मीक सोया हुआ था। यह भी सही है कि उसने लखन बैगा से पूछा था कि क्या हुआ है? तो लखन ने बताया था कि कुछ नहीं हुआ, बाल्मीक सोया हुआ है।

30. इस प्रकार यह साक्षी भी मौके का साक्षी न होकर घटना घटित होने के बाद की घटना का साक्षी है। ज्ञातव्य हो कि इस साक्षी के द्वारा बहुत ही स्वाभाविक कथन किया गया है कि जब उसे बाल्मीक भरिया के सीरियस होने की जानकारी हुई तब वह आरोपी के घर गया जहां पर बाल्मीक सोया हुआ था। इस साक्षी के द्वारा उस समय बाल्मीक भरिया से कोई बातचीत नहीं की गई और जब आरोपी से उसके संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ नहीं हुआ, बाल्मीक सोया हुआ है। इस प्रकार इस साक्षी से आरोपी के व्दारा उस समय कुछ नहीं बताया गया और घटना की बात को छिपाया गया। फिर इस साक्षी के द्वारा मृतक के भतीजे लखन भरिया (अ0सा0–4) को बाल्मीक भरिया के सीरियस होने की जानकारी दी गई थी।

31. ज्ञातव्य हो कि श्री राजाराम साहू (अ0सा0–7) के व्दारा घटना घटित होने के बाद मृतक के आरोपी के घर में होने की बात बतायी गयी है और यही बात कि राजाराम साहू के द्वारा बाल्मीक भरिया के संबंध में सूचना दिये जाने पर जब वह आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी के घर के अंदर उसके बड़े पिता बाल्मीक भरिया मर चुके थे, साक्षी श्री लखन भरिया (अ0सा0–4) ने अपने न्यायालयीन बयान के पैरा–2 में बताया है। इस प्रकार ये साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तो नहीं हैं, लेकिन घटना घटित होने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के बावत् इन साक्षियों के व्दारा स्वाभाविक रूप से कथन किया गया है। अतः इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन मात्र इतना प्रमाणित करने में सफल

रहा है कि घटना दिनांक की रात अथवा उसके दूसरे दिन जब इन साक्षियों के द्वारा मृतक श्री बाल्मीक भरिया को देखा गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

32. अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में श्री नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू (अ0सा0–1) को प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि वह आरोपी लखन बैगा एवं मृतक को जानता है। मृतक, आरोपी का साला था। घटना लगभग चार माह पहले दुर्गाजी के विसर्जन के दिन रात लगभग 10.00 बजे की है। वह उस समय दुर्गा पण्डाल के पास ही थां आरोपी लखन बैगा एवं मृतक उसका साला दोनों दारू पिये हुये थे और दोनों लड़ाई–झगड़ा करते हुये आ रहे थे। दुर्गा पण्डाल के पास ही लखन बैगा अपने साले को मार रहा था। लखन बैगा ने मृतक के सिर पर पत्थर पटक दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना होते हुये दो–चार लोगों ने देखा था।

33. अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में बताता है कि घटना दिनांक को दशहरा का दिन था और दुर्गाजी का विसर्जन हो गया था। लड़ाई–झगड़ा जहां पर दुर्गाजी विराजमन थीं, वहीं पर हुआ था। इस बात को इंकार किया है कि लड़ाई–झगड़ा घोरसेन बैगा के घर के सामने हुआ था। इस बात को स्वीकार किया है कि लड़ाई–झगड़ा होते समय बीच–बचाव नहीं किया था और न ही उनके पास गया था। पैरा–3 में साक्षी कहता है कि जिस पत्थर से आरोपी ने मारा था वह पत्थर उसने देखा था। वह पत्थर दो–तीन किलो का था जिसे आरोपी ने अपने हाथ में लेकर मृतक के चेहरे पर मारा था। पत्थर लगने पर मृतक मौके पर ही गिर गया था। आगे साक्षी कहता है कि फिर आरोपी, मृतक को घोरसेन के घर तरफ ले गया था। यह कहना सही है कि जब आरोपी लड़ाई–झगड़ा कर रहा था तो उन्हें कुछ नहीं बोला था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि घोरसेन बैगा के घर के पास उसने आरोपी को मृतक को उठाकर पटकते हुये नहीं देखा था। स्वतः कथन करता है कि दुर्गा पण्डाल के पास उसे पटकते हुये देखा था, लेकिन आगे इस बात को अस्वीकार किया है कि आरोपी ने मृतक को दुर्गा पण्डाल के पास नहीं पटका था। इस बात को भी अस्वीकार किया है कि आरोपी को मृतक के मुंह के पास पत्थर से मारते हुये नहीं देखा था। यह कहना भी गलत है कि आरोपी ने मृतक बाल्मीक के मुंह के पास पत्थर से कोई चोट कारित नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि आरोपी ने मृतक बाल्मीक के साथ कोई मारपीट या लड़ाई–झगड़ा नहीं किया था और न ही उसे पत्थर से मारपीट किया था।

34. इस प्रकार इस साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत रूप से चुनौती दी गयी हैं, लेकिन यह साक्षी अपने द्वारा मुख्य परीक्षण में बतायी गई बातों पर पूर्णतः अडिग

रहा है और कहीं भी विचलित नहीं हुआ है। इस साक्षी का कथन स्वाभाविक प्रकृति का दर्शित होता है तथा इस साक्षी के द्वारा जिस प्रकार कथन दिया गया है, उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

35. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी को प्रकरण में प्रस्तुत गहननामा प्र0डी0–2 दिखाकर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होने की बात रखी गई है तथा यह तर्क किय गया कि इस साक्षी के व्दारा आरोपी के पास अपनी जमीन को दस हजार रूपये में गहन रखा गया था और उक्त राशि आरोपी को वापस न देना पड़े, इसलिए यह साक्षी झूठा कथन कर रहा है। उक्त के बावत् इस साक्षी के द्वारा यह कथन किया गया है कि प्र0डी0–2 के ए से ए भाग पर बने हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। साक्षी की साक्ष्य पत्रिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह साक्षी तो हस्ताक्षर करना ही नहीं जानता। उसके द्वारा साक्ष्य पत्रिका पर निशानी अंगूठा लगाये हैं। इस आधार पर ही प्र0डी0–2 की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

36. प्र0डी0–2 के दस्तावेज का अवलोकन करने पर उसमें लेख इबारत के अनुसार यह पाया जाता है कि दीपचन्द्र उर्फ नानू साहू के द्वारा रूपये–पैसों की आवश्यकता होने पर अपनी हिस्से की जमीन एक नग पड़ती लगभग 15 कुरई आरोपी को दस हजार रूपये में गहन किया गया था और दस हजार रूपये वापस करने के बाद ही उसका उक्त भूमि पर अधिकार होगा। यदि उक्त राशि आरोपी को वापस नहीं की गई तो आरोपी उसके या उसके परिवार के उपर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी की विश्वसनीयता को चुनौती उक्त दस्तावेज को आधार बनाकर दी गई है कि आरोपी का पैसा वापस न करना पड़े, इसलिए इस साक्षी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध झूठा कथन किया गया है, लेकिन साक्षी दीपचन्द्र उर्फ नानू साहू (अ0सा0–1) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि आरोपी लखन बैगा के यहां अपनी जमीन दस हजार रूपये में गिरवी रखा था। यह कहना भी गलत है कि आरोपी को अपनी जमीन गिरवी रखने के संबंध में लिखा–पढ़ी कराया था। साक्षी के व्दारा उक्त दस्तावेज प्र0डी0–2 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया गया है। ज्ञातव्य हो कि जब यह साक्षी हस्ताक्षर करना ही नहीं जानता तो प्र0डी0–2 के दस्तावेज पर बने उसके हस्ताक्षर को कैसे सही माना जा सकता है? अतः इस साक्षी के व्दारा कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाना इस साक्षी की विश्वसनीयता को भंग करने के लिए बचाव पक्ष की ओर जो प्र0डी0–2 के दस्तावेज का सहारा लिया गया है, वह प्रमाणित ही नहीं माना जा सकता।

37. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि साक्षी नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू के द्वारा अपने पुलिस कथन प्र0डी0–1 से हटकर न्यायालय में बयान दिया है,

जबकि वास्तव में यह साक्षी घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। अतः इस साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

38. अभियोजन की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा तर्क किया गया है कि यह साक्षी मौके का साक्षी है और इसके द्वारा बिल्कुल वास्तविक रूप से न्यायालय के समक्ष बयान किया गया है। मात्र पुलिस बयान में मामूली विरोधाभाष आने के आधार पर ही साक्षी के सम्पूर्ण कथन को त्यक्त नहीं किया जा सकता।

39. उक्त तर्क के दृष्टिकोण से मामले का अवलोकन किया गया।

40. यह बात सही है कि इस साक्षी के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि लड़ाई–झगड़ा होते समय बीच–बचाव नहीं किया था और न ही उनके पास गया था तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में साक्षी ने बताया है कि उसने अपने पुलिस बयान प्र0डी0–1 के ए से ए भाग में यह नहीं बताया था कि ''मैं और घोरसेन बैगा– – – –बीच–बचाव करने नहीं गये थे।'' की बात उसके पुलिस बयान प्र0डी0–1 में लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। यह एक मामूली विरोधाभाष है। साक्षी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा घटना के कई दिनों बाद उसका न्यायालय में बयान कराया गया है। अतः उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हू–बहू पुलिस बयान में बतायी गई बातों को वह न्यायालय में भी बतावे। अतः साक्षी के कथन में आये मामूली विरोधाभाष के आधार पर ही साक्षी के सम्पूर्ण बयान को निरस्त नहीं किया जा सकता। माननीय वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों के आलोक में कि साक्षी के कथन का जितना भाग विश्वसनीय हो, उस पर विचार किया जा सकता है, के सन्दर्भ में साक्षी के कथनों को विचार में लिया गया। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से किया गया उक्त तर्क गुणता विहीन होने से निरस्त किया जाता है।

41. इस प्रकार साक्षी नानू उर्फ दीपचन्द्र (अ0सा0–1) के कथन का जब समग्र रूप से अवलोकन किया जाता है तो यही पाया जाता है कि यह साक्षी मौके का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और इसके द्वारा घटना घटित होते हुये स्वतः देखी गई है। इस साक्षी के द्वारा किया गया कथन कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। यद्यपि कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षियों के बयानों से स्पष्ट है कि वे मौके के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तो नहीं हैं, लेकिन घटना की परिस्थिति उनके बयानों से सम्पुष्ट हो रही है जिससे ऐसा लगता है कि आरोपी ने ही घटना कारित की हो। इसके अतिरिक्त श्री नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू (अ0सा0–1) के बयान से स्पष्ट है कि आरोपी ने ही पत्थर से श्री बाल्मीक भरिया को मारा था जिसके कारण उसे चोटें आई थीं। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौके के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू (अ0सा0–1) एवं अन्य अनुश्रुत

परिस्थितिजन्य साक्षी जिनके द्वारा घटना घटित होते हुये स्वयं तो नहीं देखी गई है, लेकिन घटना घटित होने की बात की घटना की परिस्थितियों के बावत् अपने कथनों में बताया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा ही मृतक श्री बाल्मीक भरिया को पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचायी गयी।

42. मामले के अन्वेषणकर्ता श्री के0आर0 सिलाले का साक्ष्य लेखन के पूर्व ही देहांत हो जाने के कारण उनकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी। उनके व्दारा अन्वेषण के दौरान की गयी कार्यवाही में तैयार किये गये दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए साक्षी श्री शिवप्रसाद अहिरवार, स0उ0नि0 का बयान कराया गया है जिनके द्वारा स्व0 श्री के0आर0 सिलाले के दस्तावेजों पर बने हस्ताक्षर की पहचान की गयी है।

43. अभियोजन की ओर से साक्षी श्री गेंदलाल बैगा (अ0सा0–5) को मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा अपने न्यायालयीन बयान में बताया गया है कि उसके समक्ष पुलिस ने एक शर्ट एवं एक पत्थर जप्त किया था। पुलिस ने आरोपी का कोई मेमोरेण्डम बयान दर्ज नहीं किया था। आरोपी को प्र0पी0–11 के गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा की गई मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं, लेकिन इस साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

44. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्री लखन भरिया (अ0सा0–4) के द्वारा अपने कथन में अन्वेषक द्वारा की गई मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन किया गया है तथा यह बताया गया है कि दिनांक 12–10–2019 को आरोपी लखन बैगा का मेमोरेण्डम बयान पुलिस व्दारा लेखबद्ध किया गया था जो प्र0पी0–8 है। पुलिस के द्वारा घटना स्थल से एक पत्थर, एक डिब्बा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–9 एवं प्र0पी0–10 तैयार किया था, लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि प्र0पी0–8 लगायत प्र0पी0–11 के दस्तावेजों पर पुलिस ने उससे थाने पर हस्ताक्षर कराया था। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये मेमोरेण्डम एवं जप्ती के स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, लेकिन मात्र स्वतंत्र साक्षियों के समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में ही अभियोजन की कार्यवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

45. साक्षी श्री नरेन्द्र कुमार यादव (अ0सा0–2) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 10–10–2019 को थाना जैतपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पी0एच0सी0 जैतपुर से प्राप्त सीलबंद पैकेट जिसमें मृतक बाल्मीक

भरिया के पहने हुये शर्ट, पैंट एवं अस्पताल का सील नमूना था, उसे ले जाकर प्रधान आरक्षक लालमणि सिंह को प्रदत्त किया था जिसे उनके द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0–1 तैयार किया गया था।

46. श्री शंकर सिंह (अ0सा0–6) ने अपने न्यायालयीन बयान में बताया है कि दिनांक 21–10–2019 को वे पटवारी हल्का खोड़री तहसील जैतपुर में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। थाना जैतपुर के अपराध क्रमांक 240/19 के संबंध में तहसीलदार जैतपुर के व्दारा उसे ग्राम खोड़री पटवारी हल्का खोड़री के संबंध में नजरी नक्शा एवं प्रतिवेदन बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके पालन में दिनांक 21–10–2019 को मौके पर जाकर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था जो प्र0पी0–12 है एवं घटना स्थल का प्रतिवेदन प्र0पी0–13 है जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके व्दारा तहसीलदार के निर्देशानुसार घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किये जाने का कथन किया गया है।

47. उपर वर्णनानुसार यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि आरोपी के द्वारा ही मृतक श्री बाल्मीक भरिया को पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचायी गयी। अतः अब यह देख लिया जावे कि क्या आरोपी के कारित संबंधित **''मानव वध''** हत्या की श्रेणी में आता है?

48. उक्त के संबंध में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि घटना के समय अभियोजन की कहानी के अनुसार पत्थर से मारपीट करने की बात बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में आरोपी का आशय मृतक की हत्या करने का नहीं था। अतः मामला भा0दं0सं0 की धारा 304 भाग–2 में जाता है, उसे धारा 302 भा0दं0सं0 के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट नहीं किया जा सकता है।

49. उक्त के विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि जिस प्रकार की पी0एम0 रिपोर्ट में चोटें मृतक के शरीर पर पायी गयी हैं, उसकी कई पसलियां टूट गई थीं, जबड़ा टूट गया था और सिर के पिछले भाग पर कुचली हुई चोट थी तथा चेहरे पर भी चोट थी जो कि मौके के साक्षी श्री नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू (अ0सा0–1) के बयान से स्पष्ट है। इससे यह प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर मारपीट तो घटना के समय आरोपी के द्वारा मृतक को पटकने एवं पत्थर से कारित करने के कारण उसे चोटें आयी थीं, लेकिन चोटों की प्रकृति से स्पष्ट है कि आरोपी का आशय मृतक की हत्या करना ही था। ऐसी स्थिति में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क गुणता विहीन होने से निरस्त किया जाता है और यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा ही घटना के समय मृतक श्री बाल्मीक भरिया कारित की गयी चोटों से उसकी मृत्यु हुई तथा वह **''हत्यात्मक''** प्रकृति की थी।

50. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विद्वतापूर्ण तर्क में व्यक्त किया है कि अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपी दोषमुक्ति का पात्र है।

51. उक्त बात का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया है।

52. उक्त तर्क के दृष्टिकोंण से मामले का अवलोकन किया गया।

53. इस प्रकरण के युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्य के बावत् साक्ष्य का अवलोकन करने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि उक्त के बावत् माननीय वरिष्ठ न्यायालयों का क्या अभिमत है –

54. **इन्दर सिंह तथा अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 (1) उम0नि0प0 1443** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि दाण्डिक विधि विनिश्चायक सबूत की अपेक्षा नहीं करती है, वह केवल युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की अपेक्षा करती है। निःसंदेह दाण्डिक मामलों में युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत पेश किया जाना होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह परिपूर्ण हो। यदि कोई मामला पूर्णरूपेण साबित कर दिया जाता है तो यह दलील दी जाती है कि यह कृत्रिम है। यदि किसी मामले में कुछ दोष रह गये हैं, जो मानव के त्रुटि उन्मुक होने के कारण अनिवार्य हैं, तो यह दलील दी जाती है कि यह बहुत अपूर्ण है। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत **''मार्गदर्शक है न कि कोई जादू–टोना।''**

55. **उत्तरप्रदेश राज्य बनाम अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 1998 = 1989 (1) उम.नि.प. 977** में देश के शिखर न्यायालय ने व्यक्त किया है कि –

> **'' – – – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वास्तविक सच्चाई का पता लगाये। न्यायाधीश मात्र इसलिए दाण्डिक विचारण में पीठासीन नहीं होता कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित न किया जाए, बल्कि वह इसलिए भी पीठासीन होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दोषी व्यक्ति दण्डित होने से न बच पाए। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिनका न्यायाधीश को पालन करना होता है।''**

56. आपराधिक मामलों में सबूत की अपेक्षित मात्रा के संबंध में **''लार्ड डेनिंग''** के मत को यहां उद्धृत करना सुसंगत होगा। लार्ड डेनिंग ने **मिलर बनाम मिनिस्टर ऑफ पेंशन्स 1947 (2) ऑल इंग्लैण्ड रिपोर्टस 373** वाले मामले में आपराधिक मामलों में अपेक्षित सबूत की मात्रा पर विचार करते हुये यह मत व्यक्त किया कि –

> **''– – –वह मात्रा सुस्थापित है, यह आवश्यक नहीं है कि वह**

निश्चितता तक पहुंचे ही, किन्तु उसे अधिसंभाव्यता की उच्च मात्रा तक तो पहुंचना ही चाहिए। युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत से संदेह की छाया से परे सबूत अभिप्रेत नहीं है। उस स्थिति में विधि समाज को संरक्षण प्रदान करने में असफल हो जाएगी, यदि उसमें न्याय के पक्ष से विचलन करने के लिए काल्पनिक संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है। यदि साक्ष्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध इतना सशक्त है कि उसके पक्ष में केवल एक दूरस्थ संभावना ही शेष रहती है, जिससे ''निःसंदेह यह संभव है, किन्तु तनिक भी अधिसंभाव्य नहीं'' वाक्य का प्रयोग करके अस्वीकार किया जा सकता है, तो मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है।''

57. उक्त के बावत् **इकबाल मूसा पटेल विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2011(2) एस0सी0सी0 198**, **बलवन्त बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1982 एम.पी. डब्ल्यू.एन.–2**, **अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 1988 एस0सी0 696**, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ए.के. एन्थनी ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 48**, **गुरूवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह तथा अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 209**, **शिवाजी राय व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2622**, **बर्के जोसफ बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 पैरा–12**, **आशीष बाथम बनाम म0प्र0 राज्य 2003 (1) एम.पी.एच.टी.–1 (एस.सी.)**, **थावरिया बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 442**, **कलीराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2773** एवं **जोगेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1974 क्रिमिनल लॉ जनरल 117** भी अवलोकनीय हैं।

58. जैसा कि उपर वर्णित है कि घटना के प्रत्यक्षक्षदर्शी साक्षी श्री नानू उर्फ दीपचन्द्र साहू के व्दारा मृतक के साथ आरोपी के व्दारा पत्थर से मारपीट करते हुये देखने एवं आरोपी के व्दारा ही मृतक श्री बाल्मीक भरिया के साथ मारपीट करने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य जिन अनुश्रुत साक्षियों का कथन कराया गया है, वे यद्यपि कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तो नहीं हैं, लेकिन उनके कथनों से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का पूर्णतः समर्थन होता है तथा इन साक्षियों के व्दारा अभियोजन कथानक के संबंध में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिनके कथनों के आधार पर भी अभियोजन कहानी का समर्थन होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक के कथन से भी मृतक के शरीर पर पांच चोटें पायी जाना जिसके कारण अत्यधिक रक्त श्राव होने के कारण उसकी मृत्यु होना बताया गया है तथा अपने क्वेरी अभिमत में भी मृतक की हड्डी टूट सकना जिससे मृतक की मौत होना बताया

गया है। अतः यह अभिलेख पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी लखन बैगा ने मृतक श्री बाल्मीक भरिया के साथ पत्थर से मारपीट कर उसके सिर, चेहरे एवं छाती में चोटें पहुंचायी गईं जिससे उसकी पसलियां टूट गई तथा शरीर पर आई हुई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई। अतः निर्मित अवधारणीय बिन्दु कमांक 1 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** स्वरूप में दिया जाता है।

59. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः मामले में निम्नानुसार आरोपी को दोषसिद्धी प्रदत्त की जाती है –

क्रं.	**नाम आरोपी/पिता का नाम**	**दोषमुक्ति**	**दोषसिद्धी**
1.	**लखन बैगा पिता श्री रामदास बैगा**	**––निल––**	**धारा 302 भा.दं.सं.**

60. दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 235 (2) के अनुसार आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

दण्डादेश

61. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन के प्रतिनिधि को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उभयपक्ष ने उसके समर्थन में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया। आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी का पहला अपराध है, कम उम्र का नवयुवक है तथा गरीब मजदूर व्यक्ति है, इसलिए नर्म रूख अपनाया जावे, जबकि अभियोजन के प्रतिनिधि का कहना है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी ने अपने रिश्ते के साले बाल्मीक भरिया की जिस प्रकार से पत्थर से एवं पटककर मारपीट कर हत्या कारित की गई है, उसमें कोई रियायत न बरती जावे।

62. **स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम बालू 2005 (1) एस.सी.सी. 108** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अपर्याप्त दण्ड देने से समाज में न्यायालय के प्रति गलत संदेश जाता है। अपराध की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

63. **रमन बनाम फ्रांन्सिस 1988 कि.लॉ. जनरल 1359** में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दण्डादेश के संबंध में इस प्रकार का मत प्रकट किया है –

> **''अपर्याप्त दण्डादेश विधि व्यवस्था को हानि पहुंचा सकते हैं। विधि को अपराधीकरण की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। डगमगाती दुर्बलता को घेरने वाली मत्तप्रायः भावनाएं छिपी नहीं रह सकती हैं। सुधारवादी भावनाएं किसी युक्तियुक्त दण्डादेश प्रणाली के किसी काम नहीं आ सकती हैं। गलत धारणाओं पर टिके उदारवादी दृष्टिकोंण का समर्थन नहीं किया जा सकता है।''**

64. उक्त के बावत् **कर्नाटक राज्य बनाम कृष्ण उर्फ राजू ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 861 = 1987 कि.लॉ.ज. 779 = 1987 (1) एस.सी.सी. 538**, **पंजाब राज्य बनाम मानसिंह ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 172**, **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 (2) एस.सी.सी. 220** एवं **भारत संघ बनाम कुलदीप सिंह 2004 (2) एस.सी.सी. 590** अवलोकनीय हैं।

65. चूंकि आरोपी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध हुआ है। आरोपी ने जिन परिस्थितियों में बाल्मीक भरिया की मारपीट कर हत्या कारित की है, उस परिस्थिति में आरोपी रियायत का पात्र नहीं दिखता है। अतः आरोपी लखन बैगा को निम्नानुसार दंडित किया जाता है –

क्रं.	**नाम आरोपी/पिता का नाम**	**धारा**	**सजा**	**जुर्माना रूपये में**	**व्यतिक्रम में सजा**
1–	**लखन बैगा पिता श्री रामदास बैगा**	**302 भा.दं.सं.**	**आजीवन कारावास**	**5000/–रूपये (पांच हजार रूपये)**	**एक साल का सश्रम कारावास**

66. प्रतिकर दिलाये जाने बावत् इससे संबंधित दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के उपबंधों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरवन सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1525** एवं **हरि सिंह तथा हरियाणा राज्य बनाम सुखवीर सिंह 1989 (2) उम.नि.प. 186 = 1988 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 150 (एस0सी0)** में से माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'हरि सिंह'** वाले मामले में अपने निर्णय के चरण क्रमांक 10 एवं 11 में

निम्नानुसार मताभिव्यक्ति की है –

''– – –इस शक्ति का आशय पीड़ित व्यक्ति को इस बावत् आश्वस्त करना है कि दाण्डिक न्याय प्रणाली में उसकी उपेक्षा नहीं की गई है। यह ऐसा अध्युपाय है जिसमें अपराध के बारे में समुचित रीति से कार्यवाही की जाती है और साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति की अपराधी के साथ सुलह हो जाती है। किसी हद तक यह अपराधों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोंण है। वास्तव में यह हमारी दाण्डिक न्याय प्रणाली में एक प्रगतिशील कदम है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि सभी न्यायालयों को इस शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बेहतर रूप में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।''

67. माननीय उच्चतम न्यायालय ने चरण–11 में इस प्रकार मताभिव्यक्ति की है –

''– – –किन्तु, प्रतिकर के रूप में संदाय युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त क्या है ? यह हर एक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के लिए अपराध की प्रकृति, पीड़ित व्यक्ति के लिए दावे का औचित्य और संदाय करने की अभियुक्त की सामर्थ्य को ध्यान में लिया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो जब तक कि संदाय करने की उनकी सामर्थ्य पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है तो उन्हें समान रूप से संदाय करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा संदाय हर एक अभियुक्त के कार्यों पर निर्भर करते हुए भी भिन्न हो सकता है। प्रतिकर के संदाय के लिए युक्तियुक्त अवधि यदि आवश्यक हो तो किश्तों द्वारा की जा सकती है। न्यायालय व्यतिक्रम की दशा में दण्डादेश अधिरोपित करके आदेश को प्रवर्तित कर सकते हैं। ''

68. उक्त के बावत् **<u>मांगीलाल बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (2) एस.सी.सी. 447</u>** एवं **<u>के.ए. अब्बास बनाम सावू जासेफ तथा अन्य 2010 (6) एस.सी.सी. 230</u>** में भी वर्णित सिद्धांत अवलोकनीय हैं।

69. अर्थदंड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि **<u>पांच हजार रूपये</u>** दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के प्राविधान के अनुसार **<u>मृतक के भतीजे श्री लखन भरिया पिता श्री चिब्बुल भरिया निवासी ग्राम बरगवां 24 थाना जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0</u>**

को प्रतिकर स्वरूप दिलायी जावे। यदि अपील की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

70. आरोपी द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को द0प्र0सं0, 1973 की धारा 428 के आलोक में मुजरा की जावे। अभिरक्षा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे। सजा वारंट तैयार किया जावे।

71. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्तियां निर्मूल्य होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावें। यदि अपील की गई तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

तद्नुसार निर्णय पारित।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार निर्णय टंकित किया गया।

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

(व्ही0पी0 सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0

VIRENDRA PRATAP SINGH

Digitally signed by VIRENDRA PRATAP SINGH
DN: cn=VIRENDRA PRATAP SINGH, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, st=Madhya Pradesh, c=IN

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, शहडोल, जिला शहडोल (म0प्र0)

(समक्ष–व्ही0पी0सिंह)

S.T.N0-297/2019
Filing NO./3754/2019
CNR NO-MP18010045262019
Filing Date-05-12-2019

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जैतपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

————————————————**अभियोजन**

ब ना म

लखन बैगा पिता श्री रामदास बैगा उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खोड़री थाना जैतपुर जिला शहडोल (म0प्र0)

————————————————**अभियुक्त**

क्रं0	नाम आरोपी	निरोध की अवधि
1	लखन बैगा पिता श्री रामदास बैगा	गिरफ्तारी दिनांक 12.10.2019 से निर्णय दिनांक 11.02.2023 तक की अभिरक्षा अवधि।

उक्त प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर
एवं मुद्रा से आज दिनांक
को जारी किया गया।

(व्ही0पी0सिंह)
सत्र न्यायाधीश
शहडोल म0प्र0